

**राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2021 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त**

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई की बैठक दिनांक 02.06.2021 को अपराह्न 05:00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न अधिकारी/सदस्यगण उपस्थिति रहे :-

1. जिलाधिकारी हरदोई।
2. मुख्य विकास अधिकारी हरदोई।
3. जिला विकास अधिकारी, हरदोई।
4. बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।
5. जिला वन अधिकारी, हरदोई।
6. जिला कृषि अधिकारी, हरदोई।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, हरदोई।
8. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई हरदोई।
9. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लि० हरदोई।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हरदोई हेतु अनुबंधित फर्म मै० एन०सी०सी० प्रा० लि० हैदराबाद को कुल 406 राजस्व ग्रामों की सूची डी०पी०आर० विरचन हेतु उपलब्ध करायी गयी थी। तत्कम में फर्म को विभिन्न पत्रों 698/का-70/41 दिनांक 15.03.2021, 826/का-27/60 दिनांक 23.03.2021 एवं 836/का-27/60 दिनांक 25.03.2021 द्वारा डी०पी०आर० विरचन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुक्रम में संबंधित फर्म द्वारा मात्र 02 राजस्व ग्रामों के पाइप पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये हैं। एन०सी०सी०, लि० द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० का तकनीकी परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस०डब्ल्यू०एस०एम०) तथा जल निगम की गाइड लाइन के अनुसार उ०प्र० जल निगम, हरदोई द्वारा कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि उपरोक्त आगणन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस०डब्ल्यू०एस०एम०) द्वारा दी गयी गाइड लाइन में योजना हेतु प्रति व्यक्ति लागत रु० 6000.00 निर्धारित की गयी है, प्रस्तुत 02 नग डी०पी०आर० में प्रति व्यक्ति लागत रु० 6000.00 से कम है। डी०पी०आर० के अन्तर्गत कार्य लागत में 2 प्रतिशत कन्सीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी को सम्मिलित किया गया है, जो गाइड लाइन के अनुरूप है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (एस०डब्ल्यू०एस०एम०) द्वारा दी गई गाइड लाइन के अनुसार 12.5 प्रतिशत सेन्टेज व्यय को राज्यांश में प्राविधानित किया गया है। फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये डी०पी०आर० का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र०सं० | विकास खण्ड | योजना का नाम | योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या | योजना में प्राविधानित एफ०एच०टी०सी० की संख्या | वर्क कास्ट (लाख में) | सेन्टेज (लाख में) | कुल लागत (लाख में) | प्रति व्यक्ति लागत (रु० में) |
|---------|------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 1       | 2          | 3            | 4                                    | 5                                            | 6                    | 7                 | 8                  | 9                            |
| 1       | अहिरोरी    | कुईयां       | 1                                    | 483                                          | 273.91               | 34.92             | 347.84             | 5803.00                      |
| 2       | टडियावां   | काकूमऊ       | 1                                    | 502                                          | 328.69               | 41.91             | 417.40             | 5848.00                      |

समिति द्वारा शासन द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों का परीक्षण किया। शासनादेश सं० 16/2021/948/76-1-201-22 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 एवं शासनादेश सं० 1197/76-1-201-22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021 में निर्गत निर्देशानुसार 02 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा की जानी है एवं 02 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की हार्ड कापी अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित की जानी है। प्रस्तुत दोनों परियोजनाओं का तकनीकी निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, जल जल निगम, द्वारा कर लिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, द्वारा अवगत कराया गया, कि प्रस्तुत परियोजनाएँ गाइड लाइन के अनुरूप विरचित की गई हैं।

अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं को स्वीकृत हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, द्वारा इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आईएसओ) के संबंध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया :-
- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2434/डब्ल्यू-314/जेजेएमओ-आईएसओ/2020-21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा जनपद हरदोई हेतु कुल 05 इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी का चयन कटेगरीवाइज किया गया है।
  - जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 22.02.2021 में निर्णय लेते हुये निर्देशित किया गया, कि संबंधित आईएसओ से इम्पलीमेंटेशन प्लान एवं मैन पावर का विस्तृत विवरण प्राप्त कर लिया जाये।
  - तत्क्रम में जिलाधिकारी हरदोई के पत्र सं० 368/ल०सि०/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/2020-21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा समस्त नामित इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी को इम्पलीमेंटेशन प्लान एवं मैन पावर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
  - उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में संबंधित आईएसओ द्वारा आधी-अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गयी।
  - तत्पश्चात् जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० 699/क-70/42 दिनांक 15.03.2021 द्वारा पुनः अनुस्मारित करते हुये समस्त आईएसओ को अपना इम्पलीमेंटेशन प्लान के साथ मैन पावर से संबंधित कर्जाचारियों की सूची पदनाम, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं दूरभाष नं० सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही साथ जिलाधिकारी हरदोई के आदेश सं० 695/क-70/38 दिनांक 15.03.2021 द्वारा संबंधित आईएसओ द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मैन पावर की सूची में अंकित अधिकारियों/कर्जाचारियों के दक्षता प्रमाणीकरण हेतु जिला विकास अधिकारी, हरदोई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।
  - पुनः जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० 786/क-70/54 दिनांक 22.03.2021 द्वारा समस्त इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी को पूर्व निर्देशित इम्पलीमेंटेशन प्लान तथा मैन पावर से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुस्मारित किया गया।
  - तत्पश्चात् मुख्य विकास अधिकारी हरदोई के 849/क-70/65 दिनांक 27.3.2021 द्वारा संबंधित इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी को पुनः अनुस्मारित किया गया। किन्तु वर्तमान तक इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण स्थिति से अवगत होते हुये जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ एवं प्रमुख सचिव, नमामि गंने तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ को पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुये संबंधित इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी के संबंध में कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्रों/आश्रम शालाओं में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा अनुबंधित संस्था यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई के कार्यालय द्वारा सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध करायी गयी, विद्यालयों की सूची एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी से सत्यापन उपरान्त प्राप्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची मुख्य विकास अधिकारी हरदोई के पत्र सं० 860/क-70/67 दिनांक 01.04.2021 एवं 838/क-70/62 दिनांक 25.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराते हुये प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु वर्तमान तक संबंधित संस्था द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रगति से अवगत नहीं कराया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया, कि संबंधित संस्था को पुनः प्रगति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता  
जल निगम  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
हरदोई।

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, हरदोई।

पत्रांक :-

1089 /का-70/ 98

दिनांक 7/6/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई।
2. जिला विकास अधिकारी, हरदोई।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, हरदोई।
4. जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

  
04/06/2021  
सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता  
जल निगम  
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन  
हरदोई।